तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज अपील/एल0आर0/3383/2004/भरतपुर मोहन सिंह बनाम गिर्राज सिंह	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
31.01.2022	**<u>एकल–पीठ</u>** **श्री रामनिवास जाट, सदस्य** **<u>उपस्थित :</u>** श्री मुकेश जैन, अभिभाषक अपीलांट। श्री ओ0एल0दवे, अभिभाषक रेस्पो0। **<u>निर्णय</u>** यह अपील अंतर्गत धारा 76 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 विरूद्ध निर्णय न्यायालय अति0 संभागीय आयुक्त, जयपुर कैम्प भरतपुर दिनांक 21.06.2004 प्रस्तुत की गई है। प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि रेस्पो0 1जरिये पंजीकृत बैयनामा दिनांक 04.5.76 से स्वयं के हिस्से की आराजी का 1/4 प्रार्थी के पिता हरसुख को बेचान किया। जिसका नामांतरकरण संख्या 65 दिनांक 22.10.77 को ग्राम पंचायत द्वारा स्वीकृत किया गया। जिसके विरूद्ध एक मियाद बाहर अपील उपखण्ड अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत की गयी। जिसे न्यायालय उपखण्ड अधिकारी ने मियाद बाहर मानते हुये दिनांक 19.04.90 को खारिज कर दी। उक्त निर्णय के विरूद्ध न्यायालय अति0संभागीय आयुक्त के समक्ष अपील प्रस्तुत की गयी । जिसे न्यायालय अति0संभागीय आयुक्त ने अपने आदेश दिनांक 22.09.93 से प्रकरण तहसीलदार को प्रतिप्रेषित कर दिया। तहसीलदार ने अपने निर्णय दिनांक 11.04.94 के द्वारा उक्त नामांतरकरण संख्या 65 को सही मानते हुये निर्णय पारित कर दिया । तहसीलदार के उक्त निर्णय दिनांक 11.04.94 से ग्रसित होकर न्यायालय अति0संभागीय आयुक्त के समक्ष अपील प्रस्तुत की गयी। जिसे उन्होंने अपने निर्णय दिनांक 21.06.04 से आंशिक स्वीकार कर लिया। न्यायालय अति0संभागीय आयुक्त	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज अपील/एल0आर0/3383/2004/भरतपुर मोहन सिंह बनाम गिर्राज सिंह	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	के उक्त निर्णय के विरूद्ध यह अपील प्रस्तुत की गयी है। उभय पक्ष के विद्वान अभिभाषकगण की बहस अपील में सुनी । विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपनी बहस में अपील मीमों में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये कथन किया कि अपीलीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय न्याय, नियम व पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजा के विपरीत होने से निरस्तनीय है। विद्वान अभिभाषक ने तर्क दिया कि अपीलीय न्यायालय ने इस तथ्य पर ध्यान नहीं दिया कि अपीलांट ने रेस्पो0 से जरिये पंजीकृत बयनामा दिनांक 4.05.76 के द्वारा उसके हिस्स की 1/4 में से 1/6 हिस्सा खरीद किया था। जिसका रेस्पो0 के हिस्स में बचा हुआ 1/12 हिस्सा विधिवत रूप से दर्ज कर दिया गया था जिसमें किसी रूप से अशुद्धि नही थी परन्तु अपीलीय न्यायालय ने उसे सही मानने में विधिक त्रुटि की है जो निरस्तनीय है। विद्वान अभिभाषक ने तर्क दिया कि रेस्पो0 गिर्राज के हिस्से में से जो 1/4 था में से 1/6 हरमुख के नाम कर दिया बाकी बचा हुआ 1/12 हिस्सा गिर्राज के नाम सही रूप से तस्दीक किया गया था और उसी के अनुरूप 3/4 हिस्सा बदस्तूर रखा गया था। इस कारण नामांतरकरण संख्या 65 जो स्वीकृत किया गया वह विधिवत रूप से स्वीकृत किया गया था जिसे तहसीलदार ने भी बाद प्रतिप्रेषण सही माना किन्तु उन्त निर्णय को नजरअंदाज करते हुये जो निर्णय पारित किया वह निरस्तनीय है। बहस के अंत में विद्वान अभिभाषक ने प्रस्तुत अपील को स्वीकार करने का निवेदन किया। विद्वान अधिवक्ता रेस्पो0 ने उपरोक्त तर्को का विरोध करते हुये कथन किया कि रेस्पो0 का खसरा नं0 11 रकबा 4 बीघा 6 बिस्वा भूमि में 1/4 हिस्सा था, उसने अपने 1/4	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज अपील/एल0आर0/3383/2004/भरतपुर मोहन सिंह बनाम गिर्राज सिंह	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	हिस्से में से 1/6 हिस्सा जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र अपने भाई को दिनांक 04.5.76 को विक्रय कर दिया। इस विक्रय पत्र के आधार पर नामांतरकरण संख्या 65 भरा गया जिसमें रेस्पो0 के हिस्से को 1/12 कर दिया जबकि रेस्पो0 के 1/4 हिस्से में से 1/6 हिस्सा कम करने पर उसका 5/24 हिस्सा रहना चाहिए था। परन्तु तहसीलदार द्वारा न तो उसके हिस्से को दुरूस्त किया और न ही यह देखा कि विखंडन होने के कारण विक्रय अवैध था तथा इस कारण हस्तांतरण अवैध होने के कारण नामांतरकरण दर्ज करने योग्य नहीं था। विद्वान अभिभाषक ने बहस के अंत में न्यायालय अति0 संभागीय आयुक्त द्वारा पारित निर्णय को विधिसम्मत बताते हुये प्रस्तुत अपील को निरस्त करने का निवेदन किया। उभय पक्ष के विद्वान अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया तथा अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा पारित निर्णयों का आद्योपांत अवलोकन एंव अध्ययन किया। न्यायालय अति0 संभागीय आयुक्त ने अपने निर्णय में अंकित किया है कि – ''तहसीलदार, बयाना ने अपने निर्णय दिनांक 11.04.94 में जो हिस्सा निकाला है, वह गलत है। वास्तव में 1/4 हिस्से में से 1/6 भाग अर्थात कुल का 1/24 भाग अपीलांट द्वारा विक्रय किया गया है। अपीलांट के 1/4 हिस्से में से 1/6 भाग कम होने पर उसके हिस्से में 5/24 हिस्सा रहना चाहिए जबकि तहसीलदार द्वारा 1/12 हिस्सा ठीक माना गया है। तहसीलदार द्वारा की गई गणना त्रुटिपूर्ण है। 1/4 हिस्से में से यदि 1/6 को कम दिया है तो शेष हिस्सा 5/24 ही रहता है। इसी प्रकार यदि इसे देखें तो विक्रेता अपीलांट का आराजी में 1/4 हिस्सा है जिसे सुविधा के लिए 6/24 हिस्सा लिख दिया जावेगा अर्थात सारी भूमि के 24 हिस्से मानते है तो सभी के	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज अपील/एल0आर0/3383/2004/भरतपुर मोहन सिंह बनाम गिर्राज सिंह	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	हिस्से में 6-6 हिस्से आते है। अपीलांट द्वारा 6 हिस्सों में से एक हिस्सा बेचा गया है अर्थात 1/24 हिस्सा बेचा गया है। इसस प्रकार क्रेता के हिस्से में 7/24 हो जावेगा और विक्रेता के हिस्से में 5/24 हो जावेगा। बाकी खातेदारों के हिस्से में पूर्वानुसार रहेगा। यह साधारण अंकगणित है। इसमें तहसीलदार द्वारा हिस्सा फलावट में गलती की गई है। यह गलती ठीक किया जाना उचित है। अतः अपीला अपीलांट इस हद तक स्वीकार की जाकर उसका हिस्सा1/12 के स्थान पर 5/24 अंकिया जाना न्यायसंगत प्रतीत होता है।'' इस प्रकार इस प्रकरण में न्यायालय अति0 संभागीय आयुक्त के अपीलाधीन निर्णय और अपील के साथ संलग्न दस्तावेजात के अवलोकन से स्पष्ट है कि न्यायालय अति0 संभागीय आयुक्त द्वारा प्रकरण में सम्पूर्ण तथ्यात्मक व विधिक स्थिति का पूर्ण परीक्षण व विवेचन कर अपना निर्णय पारित किया है। इस निर्णय में हम किसी प्रकार की विधिक त्रुटि या अनियमितता नहीं पाते है। परिणामतः अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील सारहीन होने से खारिज की जाती है तथा न्यायालय अति0 संभागीय आयुक्त, जयपुर द्वारा पारित निर्णय दिनांक 21.06.2004 यथावत रखा जाता है। निर्णय प्रति के साथ अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख नियमानुसार भिजवाया जावे। पत्रावली बाद इन्द्राज आवश्यक कार्यवाही अभिलेखागार में नियमानुसार भेजी जावे। निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया। **(रामनिवास जाट)** **सदस्य**	